

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल०आर०

पाषाणा

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार प्रवेदन निम्न है, कि उक्त - पाषाणा के जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता 375 के धर्मा कान्त सुखदेव का भगवाना जारी - मेयवाल (अर्ध) अर्ध जो धर्म हस्तांतरण के माफा (अर्ध), राक्षस, बरडारा पक्षपात पत्र के माफि के सुखीर सिंह का भगवाना (अर्ध) जारी - मेयवाल (अर्ध) है। मतः माफ सुखि देव सुखदेव के लक्षण सुखीर सिंह का भगवाना (अर्ध) किता जाग उपरि है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

11/11/2021

11/11/2021

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में विहितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/संशुद्ध-नहीं-है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरांघा की जाती है।

उक्त किता जाग उचित है।

तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1243
1205
11-11-2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 11-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
१.	पाषाणा	2075-2078	375	सुखदेव का भगवाना	सुखीर सिंह का भगवानाराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 11-11-2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/1040-1041
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचना



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी